भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5323

उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026

उपग्रह संचार संबंधी अवसंरचना और अंतरिक्ष मिशनों को सहायता

5323. श्री अतुल गर्ग:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों की सहायता के लिए उपग्रह संचार संबंधी अवसंरचना और पृथ्वी पर स्थित बुनियादी ढांचा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या उपग्रह ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और डेटा संग्रहण के लिए उन्नत एंटीना प्रणालियों और संचार प्रौद्योगिकियों को विकसित और तैनात करने के उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या उपग्रह संचार और ग्राउंड स्टेशन अवसंरचना के स्वदेशी विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या अंतरिक्ष संचार प्रणालियों में तकनीकी क्षमताओं और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) उक्त पहलों से भारत के अंतरिक्ष संचार नेटवर्क, उपग्रह मिशन सहायता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के किस प्रकार सुदृढ़ होने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार विभाग ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाने, अनेक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपग्रह संचार सुधार-2022 की घोषणा की और उन्हें कार्यान्वित किया।

इसके अलावा, वर्ष 2020 में घोषित अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार, उपग्रह-आधारित सेवाएं देने के लिए सेटेलाइट सिस्टम बनाने/लीज पर देने, स्वामित्व और संचालन में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की बड़ी भागीदारी को संभव बनाते हैं। भारत सरकार ने अपने 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के भाग के रूप में, अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उसकी देखरेख करने के लिए अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) नामक एक स्वायत्त नोडल एजेंसी की स्थापना की। इन-स्पेस द्वारा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई और उनका कार्यान्वयन किया गया है, जैसे कि सीड फंड स्कीम, तकनीकी केंद्र, एनजीई के लिए डिजाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, इसरो सुविधा उपयोग सहायता, एनजीई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष ईकोसिस्टम के सभी हितधारकों से जुड़ने के लिए इन-स्पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण आदि।

यह परिकल्पना की गई है कि सृजित अवसंरचना से अंतरिक्ष मिशनों को सहयोग मिलेगा।

(ख) से (घ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारत में दूरसंचार ईकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए शिक्षा-जगत, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) स्कीम शुरू की है। इससे उन्नत एंटीना प्रणालियों के विकास में भी मदद मिलने की संभावना है।

दूरसंचार विभाग ने स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, दिनांक 05.05.2025 को निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सेटेलाइट सर्विस (जीएमपीसीएस) प्राधिकरण रखने वाला लाइसेंसधारक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख के 5 वर्ष बाद

स्थापित उपग्रह नेटवर्क के अपने ग्राउंड सेगमेंट के कम से कम 20% हिस्से को स्वदेशी बनाने का लक्ष्य रखेगा।

(ङ) यह परिकल्पना की गई है कि इन पहलों से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार में वृद्धि होगी और अंतरिक्ष संचार नेटवर्क, उपग्रह मिशन सहायता और तकनीकी आत्मनिर्भरता सहित अंतरिक्ष क्षेत्र की अवसंरचना सुदृढ़ होगी।
